



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230732
CG-DL-E-26102021-230732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4108]
No. 4108]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4463(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) के पहले परन्तुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1746 (अ) तारीख 9 मई, 2019 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 मई, 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“श्री आर मुनिराजू,
कार्यकारी निदेशक (कार्मिक और प्रशासन),
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र,
दुर्गापुर -713204”।

[फा.सं. 8(16)/2012-सेल-पीसी पीटी-फाइल]

पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या का.आ. 1746 (अ), तारीख 9 मई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा संशोधित की गई थी, अर्थात्:-

- (i) का.आ. 3971 (अ), तारीख 1 नवंबर, 2019; और
- (ii) का.आ. 21 (अ), तारीख 4 जनवरी, 2021

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi the 22nd October, 2021

S.O. 4463(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel number S.O. 1746 (E), dated the 9th May, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th May, 2019, namely:-

In the said notification, in the table, against serial number 2, for the entries under columns (2), the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri R. Muniraju,
ED (Personnel & Administration),
Durgapur Steel Plant,
Durgapur – 713204.”

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC Pt-File]

PUNEET KANSAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1746 (E), dated the 9th May, 2019 and amended *vide* the following notification numbers, namely:-

- (i) S.O. 3971 (E), dated the 1st November, 2019; and
- (ii) S.O. 21 (E), dated the 4th January, 2021.